



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी  
प्रेस-नोट

दिनांक:-21-01-2025

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त अब्दुलमतीन को एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा जेल में बिताई गयी अवधि की सजा तथा कुल 500/- रू0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

थाना-जैतपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 143/1995, धारा- 8/21 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त अब्दुल मतीन पुत्र मो0 सलीम निवासी- लाट भैरव सरैया ए-39/248 थाना जैतपुरा वाराणसी को थाना-जैतपुरा पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 21.01.2025 को मा0 न्यायालय ACJM-8 जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त अब्दुलमतीन उपरोक्त धारा-8-21 एनडीपीएस एक्ट में जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व कुल 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 05 दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी  
कमिश्नरेट-वाराणसी